

20.03.2025:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी का मूल
वादी पत्र अदम हाजरी हो गया। मूल वाद पत्र
अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212
आर.टी.ए. मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती।
मूल वादपत्र अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थी
का उक्त. प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.
ए. को वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है।
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर
हो।


सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

